उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 22 16-30 नवंबर 2024 ₹ 20/-

महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर उर्दू मीडिया में मायूसी

- विवादों के घेरे में संभल की शाही जामा मस्जिद
- बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी
- सीरिया में स्थिति विस्फोटक : क्या विश्वयुद्ध छिड़ेगा?
- पाकिस्तान में शिया-सुन्नी झड़पों में 300 से अधिक लोगों की मौत

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर उर्दू मीडिया में मायूसी 04
विवादों के घेरे में संभल की शाही जामा मस्जिद 09
वक्फ संशोधन विधेयक हेतु गठित जेपीसी के कार्यकाल में वृद्धि 14
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मतभेद 16
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध 18

विश्व

बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी 20
पाकिस्तान में शिया-सुन्नी झड़पों में 300 से अधिक लोगों की मौत 23
सेना की सख्ती से इमरान खान की रिहाई का आंदोलन खत्म 26
अफगानिस्तान में नमाजियों पर फायरिंग 28
स्पेन द्वारा तीन लाख घुसपैठियों को नागरिकता देने की घोषणा 29

पश्चिम एशिया

सीरिया में स्थिति विस्फोटक : क्या विश्वयुद्ध छिड़ेगा? 30
इजरायल और हिजबुल्लाह में युद्धविराम 33
गाजा में युद्धविराम के लिए हमास तैयार 35
इजरायल द्वारा जॉर्डन की सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा 36
सऊदी अरब में 20 हजार व्यक्ति गिरफ्तार 37

सारांश

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में मुस्लिम मीडिया और मुस्लिम नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जो माहौल बनाने का प्रयास किया था उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। पिछले कई महीने से धुआंधार अभियान चलाया जा रहा था कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से खुलेआम अपील की थी कि वे भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर मैदान में आ जाएं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई मुसलमान भाजपा के पक्ष में मतदान करता है तो मुसलमानों को उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और उसे इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। इस सांप्रदायिक प्रचार के बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जो सफलता मिली है वह अप्रत्याशित है। महाराष्ट्र विधानसभा में 60 मुस्लिम विधायकों को पहुंचाने की योजना धूल में मिल गई है और इस चुनाव में सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत पाए हैं।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जिस तरह से हिंसा हुई है वह चिंताजनक हैं। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' में पुष्टि की है कि उसके एक सेनापति मीर हिंदू बेग ने संभल के हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। पुलिस का दावा है कि शरारती तत्व काफी समय से अशांति फैलाने की योजना बना रहे थे। अदालत के निर्देश पर सर्वे टीम जब दोबारा इस मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्थानीय मुसलमानों को भड़काया। पुलिस का दावा है कि शरारती तत्वों ने जामा मस्जिद के आसपास के घरों में पहले से ही भारी मात्रा में ईंट-पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। इन्हीं पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सरकार ने शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया है। पुलिस पर पथराव करने वाले 100 से अधिक दंगाइयों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। पुलिस ने घोषणा की है कि इन दंगों में संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी।

भारतीय मुसलमानों के सबसे ताकतवर संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। इसके कारण बोर्ड के सचिव मौलाना फैसल रहमानी और कुछ अन्य वरिष्ठ सदस्यों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की गई थी। तब से ही यह संगठन विवादों में रहा है। देश के मुसलमानों को यह शिकायत रही है कि इस बोर्ड में शियाओं और महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने इस बोर्ड के समानांतर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया था।

पाकिस्तान में शिया-सुन्नी दंगे दिन-प्रतिदिन भीषण रूप ले रहे हैं। पिछले दो सप्ताह से खैबर पख्तूनख्वा के पाराचिनार क्षेत्र में शिया-सुन्नी दंगों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान सरकार अभी तक इन दोनों समुदायों के बीच समझौता कराने में विफल रही है। सरकारी सूत्रों ने इन दंगों में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। जबकि गैर-सरकारी सूत्रों का दावा है कि इन दंगों में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं।

सीरिया में दिन-प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) ने सीरिया में सत्तारूढ़ राष्ट्रपति बशर अल-असद सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। अब तक ये विद्रोही सीरिया के दो प्रदेशों पर कब्जा कर चुके हैं। बता दें कि सीरिया में 2011 से गृहयुद्ध चल रहा है। अब तक इस गृहयुद्ध में सात लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इस युद्ध में ईरान और रूस राष्ट्रपति बशर अल-असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वहीं, विद्रोहियों को अमेरिका, इजरायल और तुर्किये का समर्थन प्राप्त है।

महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर उर्दू मीडिया में मायूसी

उर्दू प्रेस और मुस्लिम नेताओं ने महाराष्ट्र की सत्ता से भाजपा को हटाने का जो मंसूबा बनाया था वह धूल में मिल गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 288 सीटों में से भाजपा को 132 सीटों पर सफलता मिली है। जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 105 सीटें मिली थीं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 288 सीटों में से 236 पर सफलता मिली है। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 41 सीटें मिली हैं। जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस गठबंधन ने सिर्फ 48 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी भी दो सीटें जीतने में सफल रही है।

गौरतलब है कि पिछले कई महीने से उर्दू प्रेस और मुस्लिम नेता भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का अभियान चला रहे थे। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वे भाजपा को पराजित करने वाले उम्मीदवारों का एकजुट होकर समर्थन करें। मुस्लिम नेता यह भी अभियान चला रहे थे कि किसी भी कीमत पर इस बार 60 मुस्लिम विधायकों को विधानसभा में पहुंचाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से अपील की थी वे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का समर्थन करें और जो मुसलमान भाजपा को वोट दें उनका सामाजिक बहिष्कार करें, लेकिन उनकी यह अपील बेअसर साबित हुई है। इन चुनावों में मुस्लिम रणनीति के विफल होने का ठीकरा अब किस पर फोड़ा जाए इसकी तलाश जारी है। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 420 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार ही सफल हुए हैं। पिछली बार के चुनाव में भी 10 मुस्लिम उम्मीदवार ही सफल हुए थे।

हिंदुस्तान (24 नवंबर) के अनुसार इस बार के चुनाव में 300 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मुस्लिम वोटों को विभाजित करने की जो रणनीति बनाई थी वह सफल रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चोर दरवाजे से आई थी। महाराष्ट्र के लोग इस सरकार को बेहद नापसंद करते थे और उन्होंने कुछ महीने पहले हुए लोकसभा के चुनाव में अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया था। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र से भाजपा के सिर्फ नौ उम्मीदवार ही सफल हुए थे। इन चुनावों में महायुति की अन्य पार्टियां शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) को भी जिस तरह की सफलता मिली है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

अवधनामा (24 नवंबर) के अनुसार आम धारणा यह थी कि इन चुनावों में महाराष्ट्र के मतदाता दगाबाजों को सबक सिखाएंगे, लेकिन चुनावी नतीजों ने इस धारणा को गलत साबित किया है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले में तीन गुना अधिक सीटें जीती हैं। यही स्थिति अजित पवार की भी है। इन चुनावों में शरद पवार को मुंह की खानी पड़ी है।

उर्दू टाइम्स (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो दांव खेला था, वह उल्टा पड़ा है। भाजपा ने उनकी अपील को 'वोट जिहाद' का दर्जा दे दिया था। यही कारण है कि बहुसंख्यक मतदाता महाविकास अघाड़ी के खिलाफ एकजुट हो गए।

अखबार-ए-मशरिक (24 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय राजनीति की दिशा को तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शरद पवार की एनसीपी को जो शर्मनाक हार मिली है उसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। 84 साल के शरद पवार अपने भतीजे से ही बुरी तरह से मात खा गए हैं।

एतेमाद (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों से सभी को हैरानी हो रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। भाजपा ने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाया था उसके कारण वह हिंदुओं के

वोट बटोरने में सफल रही है। चुनाव के दौरान शिवसेना के एक नेता ने रसूल के बारे में जो गुस्ताखी की थी उस पर मुस्लिम नेताओं का रूख स्वाभाविक था, लेकिन भाजपा ने इन मुस्लिम नेताओं के बयानों को हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया।

सियासत (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र में इस बार 10 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इनमें से कांग्रेस के सबसे ज्यादा तीन मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं, जिनमें अमीन पटेल (मुंबा देवी), असलम शेख (मलाड वेस्ट) और साजिद खान पठान (अकोला वेस्ट) शामिल हैं। जबकि अजित पवार की एनसीपी से सना मलिक (अणुशक्ति नगर) और हसन मुश्रीफ (कागल) चुनाव जीते हैं। समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आजमी (मानखुर्द शिवाजी नगर) और रईस शेख (भिवंडी ईस्ट) चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवेसना से अब्दुल सत्तार (सिल्लोड) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक (मालेगांव सेंट्रल) चुनाव जीते हैं। जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हारून खान (वर्सोवा) चुनाव जीते हैं।

इसके अतिरिक्त दो पुराने मुस्लिम विधायक चुनाव हार गए हैं। इनमें एनसीपी के नवाब मलिक को अबू आसिम आजमी ने हराया है। हालांकि, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार फहाद अहमद को हराया है। वहीं, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी चुनाव हार गए हैं। गौरतलब है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में नौ मुस्लिम विधायक जीते थे। जबकि 2019 में इनकी संख्या 10 थी।

हिंदुस्तान (24 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्षी दलों को गंभीरता से अपनी हार पर आत्मचिंतन करना चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ भारी जनाक्रोश था और यह आशा व्यक्त की जा रही थी कि इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी को भारी सफलता मिलेगी, लेकिन भाजपा ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 'वोट कटवा' मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसके कारण मुस्लिम नेताओं की पूरी रणनीति ही विफल हो गई। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा बेईमानी और धन बल के दुरुपयोग से चुनाव जीती है।

उर्दू टाइम्स (24 नवंबर) ने महाराष्ट्र में भाजपा की अप्रत्याशित सफलता का श्रेय आरएसएस को दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि आरएसएस ने चुनाव में दिल लगाकर महायुति के उम्मीदवारों के लिए काम किया। मुस्लिम

नेताओं और संगठनों ने मुसलमानों से अपील की थी कि वे एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करें, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। इससे भाजपा के 'वोट जिहाद' नारे को ताकत मिली। देवेंद्र फडणवीस ने हर चुनावी रैली में मुस्लिम नेताओं के बयानों को सुनाकर हिंदू मतदाताओं को उकसाया। इससे भाजपा को हिंदुओं के वोट बटोरने में सफलता मिली।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र में भगवा टोले की नफरती सियासत की रणनीति सफल रही है। भाजपा ने धीरे-धीरे शिवसेना और एनसीपी के परंपरागत वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है। भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के जो बीज बोए थे उसके कारण उसे वोटों की फसल काटने में अप्रत्याशित सफलता मिली है।

उर्दू टाइम्स (24 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों से मुसलमानों में मायूसी भी है और पछतावा भी। कुर्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी और कांदिवली जैसे मुस्लिम क्षेत्रों में भी महायुति के उम्मीदवार सफल हुए हैं। इसका कारण तलाशना बेहद जरूरी है। क्या मुस्लिम मत विभाजित हुए या भाजपा के रणनीतिकारों ने वोट काटने के लिए मुसलमानों को प्रलोभन देकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया? एक अन्य कारण मुस्लिम क्षेत्रों में कम मतदान भी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम नेताओं और मीडिया के लाख प्रयास के बावजूद भी अधिकांश मुस्लिम मतदाता वोट देने नहीं जाते हैं और वे अपने घरों में बैठे रहते हैं। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वे मायूस हो जाते हैं और पछताने लगते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मुस्लिम क्षेत्रों में वोटों को विभाजित करने के लिए कितने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में खड़े किए गए थे और उनको खड़े करने वाले कौन थे? अगर मुस्लिम मतदाताओं में एकता हो तो ऐसे नतीजे कभी नहीं आ सकते। इस बार मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान उनके धार्मिक नेताओं ने पहुंचाया है। वे मुसलमानों से एकजुट होकर भाजपा को हराने की अपील करते रहे। मुसलमान तो एकजुट नहीं हुए, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने एकजुट होकर शानदार सफलता प्राप्त कर ली। इन चुनावों में मुसलमानों की हार सबके सामने है। कोई पैसे लेकर उम्मीदवार बनता है तो कोई पैसे लेकर वोट देता है। अगर मुसलमानों की यही आदत बनी रही तो वे इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। उनका कोई मददगार नहीं बनेगा और उन्हें हर क्षेत्र में जलील होना पड़ेगा।

हिंदुस्तान (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, "चुनाव आकर गुजर गए और नकली मुसलमान पहचाने गए।" संपादकीय में कहा गया है कि इस बार महाराष्ट्र में सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि नकली मुसलमानों के चेहरे से नकाब उठाने का मौका भी था। गफ्फार, सत्तार, मोहम्मद या फिर इब्राहिम नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान होने के लिए सबसे पहले इस्लाम और ईमान पर यकीन होना जरूरी है। इस चुनाव में आरएसएस ने एक चाल चली। इस चाल में वह सौ फीसदी सफल रहा। वे यह जानते थे कि नकली मुसलमान उनके नोटों के जाल में आसानी से फंस जाएंगे और असली मुसलमानों के विधानसभा जाने में खाई बन जाएंगे। ऐसी खाई जो पांच साल तक मुसलमानों को दफन कर देगी। बेईमान जाहिल मुसलमान, जिनका न कोई जमीर है और न ही खमीर। इम्तियाज जलील और अलीम पटेल जैसे सच्चे मुसलमान भी मुसलमानों की मेहरबानी से विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। महाराष्ट्र के सऊदी अरब कहलाने वाले मालेगांव सेंट्रल से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक की जीत सिर्फ 162 वोटों से हुई है। जबकि मालेगांव में

मुसलमानों की आबादी 90 प्रतिशत है। अब समय आ गया है कि मुसलमान होश से काम लें और आपसी मतभेद भुलाकर कम-से-कम राजनीतिक मैदान में डटकर खड़े हो जाएं।

मुंसिफ (30 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों पर विश्वास करना मुश्किल है। जिस महाराष्ट्र में पांच महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था उसी महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगियों को इतनी बड़ी जीत मिलने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जो हुआ उसके तीन कारण बताए जाते हैं। एक तो ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़। दूसरा, मौलानाओं की नासमझी और तीसरा, आरएसएस की इन चुनावों में सक्रियता। समाचारपत्र ने लिखा है कि इस समय देश के हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं कि अगर हम मुसलमान एकजुट नहीं हुए तो न तो हमारे प्राण सुरक्षित रहेंगे, न ही हमारी संपत्ति और न ही मदरसे और मस्जिदें ही बचेंगी। जरूरत इस बात की है कि एक अल्लाह और एक नबी को मानने वाले मुसलमान कम-से-कम दीन के नाम पर अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए एकजुट हो जाएं, वरना इस देश से इस्लाम और मुसलमानों का नामोनिशान मिट जाएगा।

अखबार-ए-मशरिक (27 नवंबर) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की शर्मनाक हार का विश्लेषण करते हुए कहा है कि जो नतीजे आए हैं उनकी आशा किसी ने नहीं की थी। तीनों विपक्षी दल अपने-अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। अभी तक यह देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश तो पैदा कर लेती हैं, लेकिन उस जनाक्रोश को वोटों में नहीं बदल पातीं। भाजपा के पास चुनाव जीतने की एक विशाल मशीनरी है, जिसे आरएसएस का समर्थन प्राप्त है। इसके कारण भाजपा जनता के विरोध के बावजूद भी लगातार चुनाव जीतती आ रही है।

अवधनामा (25 नवंबर) ने कहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा तो जीत गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हार गए हैं। भाजपा की यह सफलता यह संदेश दे रही है कि वह मोदी के बगैर भी चुनाव जीत सकती है और प्रधानमंत्री फिलहाल पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं। यानी मोदी ब्रांड का खात्मा हो चुका है। महायुति इस चुनाव में 'तीन सी' कैश, कास्ट और कम्युनलिज्म के बल पर जीती है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा ने इन चुनावों में 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारे को खूब उछाला, लेकिन असली प्रभाव प्रधानमंत्री के 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' के नारे का पड़ा। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी जनता के सामने कोई वैकल्पिक व्यवस्था पेश करने में विफल रहा। इसका खामियाजा उसे इन चुनाव परिणामों में भुगतना पड़ा है। भाजपा ने इन चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। इन चुनावों में धन का डटकर इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जो फसल बोई गई उससे भाजपा और उसके सहयोगियों को जबर्दस्त लाभ मिला।

विवादों के घेरे में संभल की शाही जामा मस्जिद

सियासत (25 नवंबर) के अनुसार अदालत के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जबर्दस्त हिंसा हुई। इस हिंसा में पांच लोग मारे गए हैं। मृतकों के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। जबकि पुलिस का कहना है कि उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि दंगाइयों की गोली से हुई है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई का कहना है कि अदालत के निर्देश पर एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में जब सर्वे टीम दोबारा सर्वे करने के लिए मस्जिद परिसर में गई तो दंगाइयों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए।

इस घटना के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और दंगाइयों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं और 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि महिलाएं और किशोर छतों से पुलिस पर पथराव कर रहे थे, इसलिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें पुलिस को दंगाइयों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि उनके शरीर से कोई गोली बरामद नहीं हुई है। लखनऊ में पुलिस प्रवक्ता ने यह दावा किया कि पुलिस पथराव करने वालों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रोजनामा सहारा (1 दिसंबर) के अनुसार समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन और हरेन्द्र मलिक जब संभल जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें दिल्ली-गाजियाबाद सीमा पर रोक दिया।

एक अन्य समाचार के अनुसार समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा में मारे गए पांचों लोगों के परिवारजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जमीयत उलेमा ने भी पांचों मृतकों के परिवारजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

इंकलाब (30 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषणा की है कि इन दंगों में संपत्ति को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी।

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति पर काबू पाने के लिए पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि पुलिस आधी रात को दरवाजा तोड़कर लोगों के घरों में घुस रही है और झूठे मुकदमे में बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने संभल हिंसा के आरोप में मुरादाबाद जेल में बंद कई दर्जन लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ मारपीट कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में महिलाएं, बच्चे और नौजवान शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जांच हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग के दो अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल हैं। यह आयोग दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगा। इस आयोग ने संभल जाकर घटनास्थल का दौरा किया है। संभल पुलिस के अधिकारियों और मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त ने आयोग के समक्ष यह बयान दिया है कि दंगाइयों ने आसपास के जिलों से लोगों को भारी संख्या में संभल बुलाया और इस भीड़ ने सुनियोजित तरीके से पुलिस पर हमले किए। इस दौरान दंगाइयों ने पथराव किया और अवैध हथियारों से गोलियां भी चलाईं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई अवैध हथियार भी बरामद किए हैं।

रोजनामा सहारा (20 नवंबर) के अनुसार इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब संभल स्थित कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरी सहित पांच अन्य याचिकाकर्ताओं ने संभल की शाही जामा मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर बताते हुए चंदौसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में एक याचिका दायर की। इस याचिका में यह मांग की गई कि विवादित भवन का सर्वे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाया जाए। याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन और कैला देवी मंदिर के महंत ने यह दावा किया कि यह प्राचीन हरिहर मंदिर है, जिसे मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ध्वस्त किया गया था और यहां पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है। इसके बावजूद इसमें हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और यहां पर जबरन नमाज अदा की जा रही है।

बता दें कि इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं कि 1529 में बाबर के आदेश पर संभल में स्थित हरिहर मंदिर को एक मस्जिद में बदल दिया गया था। इसका उल्लेख 'बाबरनामा' में भी मिलता है। बाबरनामा के अनुसार बाबर के निर्देश पर उसके एक सेनापति मीर हिंदू बेग ने संभल स्थित हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख अबुल फजल द्वारा लिखित 'आइन-ए-अकबरी' में भी है। इस याचिका पर ढाई घंटे तक सुनवाई चली। इसके बाद अदालत ने इस भवन का सर्वे और वीडियोग्राफी करवाने के लिए अधिवक्ता रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में एक एडवोकेट कमीशन का गठन कर दिया। इसमें वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन भी शामिल हैं।

इंकलाब (23 नवंबर) के अनुसार संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। आसपास के इलाके से भारी संख्या में मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आए थे। मस्जिद नमाजियों से भर गई थी, इसलिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आने वाले नमाजियों को यह निर्देश दिया था कि वे अन्य मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें। इस दौरान मस्जिद के चारों तरफ की दुकानें बंद रहीं। मस्जिद की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। इससे पहले 19 नवंबर को दो घंटे तक इस मस्जिद का सर्वे किया गया। सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव और अन्य कमिश्नरों ने बताया कि वे फिर से इस इमारत का सर्वे और फोटोग्राफी करेंगे। इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर देंगे। बताया जाता है कि जब 24 नवंबर को सर्वे टीम दोबारा सर्वे करने के लिए मस्जिद पहुंची तो उसके आसपास भारी भीड़ जमा थी। आासपास की छतों से महिलाओं और अन्य शरारती तत्वों ने सर्वे टीम पर पथराव किया। पुलिस का दावा है कि उसने वहां से चार ट्रक पत्थर बरामद किया है। इस दौरान वहां पर दंगा भड़क उठा। पुलिस और भीड़ के बीच जोरदार झड़पें हुईं। इस झड़प में कम-से-कम पांच लोग मारे गए। पुलिस ने इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

रोजनामा सहारा (26 नवंबर) के अनुसार संभल में हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने ढ़ाई हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल का भी नाम शामिल है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि हमारे दरोगा दीपक राठी ने 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने जिया उर रहमान बर्क और सुहैल इकबाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये

दंगे सुनियोजित तरीके से किए गए हैं और दुख की बात यह है कि देश और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बर्क ने कहा कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे करने वाली टीम के साथ भीड़ भी मौजूद थी, जो जय श्रीराम के नारे लगा रही थी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संभल की घटना पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का फैसला द्वेषपूर्ण और दुखद है। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा के लिए राज्य की भाजपा सरकार दोषी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब जिया उर रहमान बर्क घटना के दिन संभल में मौजूद ही नहीं थे तो पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की है? उन्होंने आरोप लगाया कि ये दंगे सरकार ने जानबूझकर करवाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन ने संभल की घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम नेता जानबूझकर दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हिंसा विपक्षी नेताओं और मौलानाओं के भड़काने के कारण हुई है। उन्होंने मांग की कि दंगाइयों और उनके समर्थकों को एनएसए के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

इंकलाब (26 नवंबर) के अनुसार संभल की जामा मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली ने एक प्रेस कांफ्रेस में आरोप लगाया है कि इस दंगे के लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब एसडीएम ने मस्जिद के पानी को जबरन खाली करवाया तो जनता में यह भ्रांति पैदा हो गई कि सरकार पुलिस की निगरानी में मस्जिद में तोड़फोड़ करवा रही है। जब लोगों ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने पुलिस को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जफर अली ने दावा किया कि मैंने खुद अपनी आंखों से पुलिस को गोली चलाते हुए देखा है।

इंकलाब (27 नवंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा ने संभल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय संभल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित उपासना

स्थलों की यथास्थिति को बरकरार रखने वाले कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दे।

इंकलाब (30 नवंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल में शांति को बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने चंदौसी की अदालत के न्यायाधीश को यह निर्देश दिया है कि वे इस मामले में कोई अगली कार्रवाई न करें। सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद की प्रबंध समिति को यह निर्देश दिया है कि वह सर्वे के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे। इसके साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी यह निर्देश दिया गया है कि अगर मस्जिद प्रबंध समिति इस मामले में कोई अपील दायर करती है तो उस पर तीन दिनों के अंदर सुनवाई की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चंदौसी की अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर अगर अदालत में कोई रिपोर्ट पेश करते हैं तो उसे सीलबंद रखा जाए।

इससे पहले मस्जिद प्रबंध समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद 500 साल पुरानी है और इसमें लगातार नमाज अदा किया जा रहा है। इसके बावजूद इस मुकदमे में चंदौसी की अदालत ने जल्दबाजी दिखाते हुए एकतरफा आदेश जारी कर दिया। अदालत ने कोर्ट कमिश्नरों की भी नियुक्ति कर दी और उन्हें फौरन सर्वे करने और उसकी रिपोर्ट को अदालत में पेश करने का निर्देश दे दिया। मुंबई के एक संगठन की ओर से डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके यह मांग की है कि संभल के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पीएसी के कमांडेंट और थाने के एसएचओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।

इंकलाब (30 नवंबर) के अनुसार एएसआई ने संभल की शाही जामा मस्जिद से संबंधित अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। एएसआई ने अदालत को सूचित किया है कि 1920 में संभल की शाही जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। पिछले 500 सालों में इस भवन में इतना परिवर्तन हुआ है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर इसके बारे में कोई निर्णय करना संभव नहीं है। एएसआई ने शिकायत की है कि मस्जिद की प्रबंध समिति ने उन्हें कभी भी मस्जिद में जाकर सर्वे करने की अनुमति नहीं दी है। मस्जिद की प्रबंध समिति ने पांच साल पहले इस भवन में कुछ परिवर्तन किया था। इसका विरोध एएसआई ने किया था और इस संदर्भ में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। एएसआई ने यह मांग की है कि इस भवन को उसे सौंपा जाए ताकि वह इसके संरक्षण के लिए उचित कदम उठा सके।

वक्फ संशोधन विधेयक हेतु गठित जेपीसी के कार्यकाल में वृद्धि

रोजनामा सहारा (29 नवंबर) के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा ने इस संबंध में पेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि इस कमेटी को संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी थी। कमेटी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद इस कमेटी के कार्यकाल में वृद्धि की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने यह दावा किया था कि रिपोर्ट तैयार है, लेकिन कमेटी में शामिल विपक्षी सदस्यों ने उनकी इस राय से सहमति नहीं जताई थी। अंत में कमेटी के अध्यक्ष को विपक्षी सदस्यों की इस मांग को स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें और भी संबंधित व्यक्तियों की राय सुननी चाहिए। इस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह उचित फैसला है। यह विवादित विषय है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस पर सभी वर्गों का मशवरा लिया जाए।

इंकलाब (2 दिसंबर) के अनुसार जेपीसी ने छह राज्य सरकारों से उन वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है, जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन वक्फ संपत्तियों का विवरण पेश किया था, जिस पर संबंधित राज्य सरकारों का कब्जा है। अब जेपीसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का पुनरीक्षण करना चाहती है। कमेटी ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत संबंधित राज्यों के वक्फ बोर्डों से उन सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है जिन पर उनका दावा है कि ये संपत्तियां उनकी है। गौरतलब है कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और उड़ीसा में 53 वक्फ संपत्तियों पर राज्य सरकारों ने गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है। जेपीसी ने केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। विपक्षी सदस्य यह आरोप लगाते रहे हैं कि जेपीसी पर भाजपा ने कब्जा कर रखा है और इसके अध्यक्ष विपक्षी सदस्यों की राय सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने इस संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात करके उनसे लिखित शिकायत भी की थी।

उर्दू टाइम्स (29 नवंबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है और इस विधेयक को सेक्युलरिज्म के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश कर रही है।

अखबार-ए-मशरिक (30 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों के शरिया कानून का हिस्सा हैं और इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उनसे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके बावजूद

मोदी सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे।

हिंदुस्तान (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के विभाजन के बाद जो दंगे हुए उसने मुसलमानों की कमर तोड़ डाली। बड़े-बड़े जमींदार अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर एक नए देश में चले गए। देश के विभाजन के बाद मुसलमानों की हजारों मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, खानकाहों और मदरसों पर जबरन कब्जा कर लिया गया। समय का फेर देखिए कि मुस्लिम शासकों ने मुसलमानों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए जो भूमि वक्फ को दान दी थी उनमें से अधिकांश संपत्तियों पर सरकार ने अवैध कब्जा कर रखा है। आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयासों से 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया था। इसमें कई त्रुटियां थी। इसके खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने आवाज उठाई और 1959 में इसमे संशोधन किया गया। इसके बाद भी इसमें संशोधन का सिलसिला जारी रहा। अंत में सरकार ने 1995 में वक्फ अधिनियम बनाया। इसे मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद 2010 में इस संबंध में एक नया कानून बनाया गया। सरकार ने वक्फ संपत्तियों में सुधार के लिए कई कमेटियां बनाई। इन कमेटियों ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौपीं, लेकिन सरकार ने इन सिफारिशों पर कभी अमल नहीं किया। मुसलमान यह मांग करते रहे हैं कि वक्फ को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कौमी वक्फ विकास निगम बनाया जाए। वक्फ संपत्तियों को रेंट कंट्रोल एक्ट से मुक्त रखा जाए और जिन संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है उन्हें छह महीने के अंदर खाली करवाया जाए। यह जरूरी है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित सभी फैसले मुसलमानों के हक में हों। ये फैसले मुस्लिम

मोदी सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर तुली हुई है। प्रस्तावित विधेयक में वक्फ कानून में 43 संशोधन किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप वक्फ कानून अर्थहीन रह जाएगा और देश में कलेक्टर राज चल पड़ेगा। यही कारण है कि देशभर के मुसलमान इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जमीयत उलेमा ने कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया गया था। जमीयत उलेमा के राज्य अध्यक्ष और मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने दावा किया कि इस विरोध प्रदर्शन में चार लाख लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, बल्कि यह अल्लाह की अमानत है। शरिया के अनुसार किसी को भी वक्फ में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

समाचारपत्र ने लिखा है कि मस्जिदों के इमाम और वक्फ के प्रबंधक कौन होंगे इसका फैसला करने का अधिकार मुसलमानों को नहीं, बल्कि हिंदू अधिकारियों को दिया जा रहा है। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों के बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है। जबकि सिर्फ दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही हिंदू मंदिरों के पास 9 लाख 40 हजार एकड़ भूमि है। जबकि पूरे देश में वक्फ के पास सिर्फ छह लाख एकड़ भूमि है। समाचारपत्र ने कहा है कि देश के मुसलमान

पर्सनल लॉ और इस्लामी कानून शरिया के अनुसार किए जाएं, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से मुसलमानों का मामला है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 नवंबर) के अनुसार पटना में आयोजित वक्फ सम्मेलन में जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार मुसलमानों के वक्फ को हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें वक्फ को हर कीमत पर जिंदा रखना होगा और सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने से दूर रखना होगा। यह हमारा धार्मिक कर्तव्य है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मतभेद

मुसलमानों के सबसे प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तीव्र मतभेद पैदा हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना फैसल रहमानी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख नेताओं को भी बोर्ड की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इनमें कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के वकील एमआर शमशाद व कमाल फारूकी शामिल हैं। इन दोनों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

अखबार-ए-मशरिक (27 नवंबर) के अनुसार इमारत-ए-शरिया के अमीर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्यता और सचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने दो सालों तक बोर्ड के सचिव के रूप में शरिया और देशभर में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। समाचारपत्र का कहना है कि बोर्ड के आंतरिक विवादों के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। फैसल रहमानी के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव के पद से त्यागपत्र के बाद उनकी दोहरी नागरिकता का मामला भी जोर पकड़ रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अभी वे अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए उन्हें बोर्ड से त्यागपत्र देना पड़ा है।

बताया जाता है कि बोर्ड के कुछ सदस्यों ने फैसल रहमानी की अमेरिकी नागरिकता पर आपत्ति जताई थी। इस विवाद पर जामिया रहमानी खानकाह, मुंगेर के प्रवक्ता ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन साल पहले मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को बोर्ड में शामिल किया था और कुछ सदस्यों ने उस समय भी उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस पर विचार करने के बाद यह फैसला किया था कि मौलाना का ओसीआई दर्जा बोर्ड में उनकी जिम्मेवारियों को प्रभावित नहीं करता है। इस कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के छह वरिष्ठ वकील शामिल थे। इस

रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें बोर्ड का सदस्य और सचिव बनाने की पेशकश की थी। इस पेशकश को मौलाना ने स्वीकार कर लिया था। अब कुछ विवादों के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। बयान में यह आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग निजी स्वार्थों के कारण मिल्लत में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, मुसलमानों को इस नाजुक घड़ी में अपनी एकता बरकरार रखनी चाहिए ताकि वे दुश्मनों के इन साजिशों को विफल बनाने में सफल हो सकें।

सियासत (25 नवंबर) के अनुसार बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सर्वसम्मति से बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे बोर्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और लंबे समय तक महासचिव के रूप में बोर्ड की सेवा कर चुके हैं। इसी तरह से मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी और मौलाना मोहम्मद मोहसिन तकवी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड के 40 सदस्यीय कार्यकारी समिति का भी चुनाव किया गया है। गौरतलब है कि मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी के निधन के बाद बोर्ड की अध्यक्षता की समस्या पैदा हो गई थी। 13 अप्रैल 2023 को मौलाना नदवी का निधन हो गया था। मौलाना राबे हसनी नदवी बोर्ड के चौथे अध्यक्ष थे। वे 2002 से लगातार 21 सालों तक इस पद पर रहे।

बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन 1973 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश में मुसलमानों के पर्सनल लॉ की रक्षा करना और मुसलमानों की समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराना है। यह भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा और ताकतवर संगठन है। इसके बोर्ड में 251 सदस्य हैं। इनमें से 102 सदस्य इसके संस्थापक सदस्यों में हैं। जबकि शेष 149 सदस्यों का चयन तीन साल के लिए किया जाता है।

कौमी तंजीम (25 नवंबर) के अनुसार बोर्ड ने मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी और महमूद दरियाबादी को कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। बताया जाता है कि कुछ सदस्यों

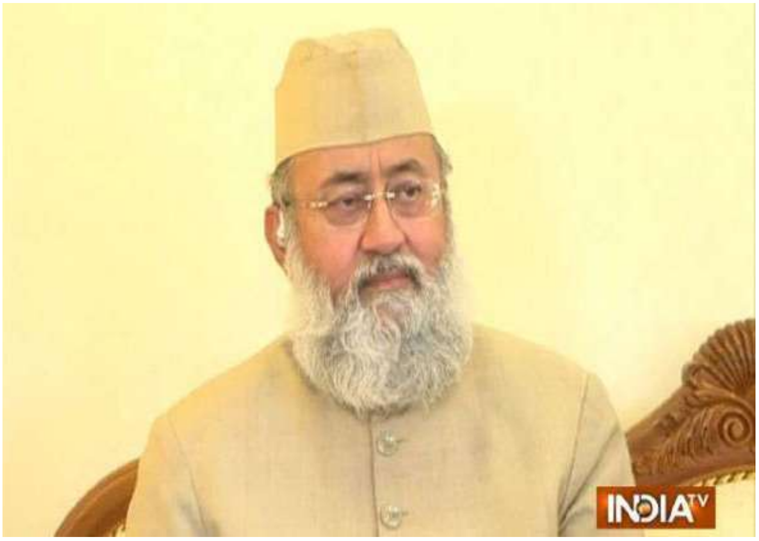

ने फैसल रहमानी को बोर्ड का सचिव बनाए जाने का इसलिए विरोध किया है, क्योंकि वे भारतीय नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों ने कहा कि बोर्ड के सचिव का पद वंशानुगत नहीं है। फैसल रहमानी के पिता और दादा बोर्ड के महासचिव रहे हैं। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी के बेटे सलमान नदवी को भी बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी की बेटी उजमा नाहिद को भी बोर्ड से निकाल दिया गया है। हालांकि, वे बोर्ड के पहले अध्यक्ष मौलाना कारी तैयब कासमी के परिवार से हैं। बोर्ड की बैठक में यह कहा गया कि बोर्ड के लिए मुसलमानों के हित सर्वोपरि हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के हितों पर मुसलमानों के हितों को कुर्बान नहीं किया जा सकता। बोर्ड ने जो फैसला किया है उससे बोर्ड की स्थिति और भी मजबूत होगी और वह भारतीय मुसलमानों की समस्याओं को सरलता से हल कर सकेगा। बोर्ड ने अपनी बैठक में यह भी फैसला किया है कि संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया जाएगा और इस संदर्भ में मुसलमानों के सभी वर्गों को जागृत किया जाएगा। गौरतलब है कि बोर्ड को इसलिए भी निशाना बनाया जाता रहा है, क्योंकि इसमें शिया संप्रदाय और महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध

इंकलाब (2 दिसंबर) के अनुसार नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमति के छात्रों के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी छात्र ने बिना अनुमति के किसी तरह का प्रदर्शन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ छात्रों ने 28 नवंबर को संभल की घटना के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया था। इस आदेश को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। एक अन्य समाचार के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी संभल की घटना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस

प्रदर्शन में सरकार को धमकी दी गई कि वह आग से न खेले, वरना देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि इससे पहले इसी तरह का एक आदेश 2022 में भी जारी किया गया था। दूसरी ओर, छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस आदेश का विरोध किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला प्रकाश में आया है कि कुछ छात्र बिना विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति या सूचना के प्रधानमंत्री और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस आदेश में सभी छात्रों को यह सूचित किया गया है कि वे विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी हिस्से में संवैधानिक पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना और नारेबाजी न करें, वरना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस आदेश की निंदा की है और कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इतिहास है कि इसने हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी छात्र अपने इस कर्तव्य को निभाते रहे हैं। हम किसी भी अधिकारी को छात्रों के मूलभूत अधिकारों का हनन करने की अनुमति नहीं देंगे और इसका डटकर विरोध करेंगे। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सामूहिक विरोध की आवाज को दबाना चाहता है, इसलिए छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव में नहीं आएंगे।

बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी

एतेमाद (27 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश की एक अदालत ने इस्कॉन (बांग्लादेश) के संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। उन्हें विभिन्न संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें ढाका हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे चटगांव जाने के लिए रवाना हो रहे थे। गौरतलब है कि चिन्मय कृष्ण दास प्रभु बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। पिछले दिनों सनातन जागरण मंच की ओर से चटगांव में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन करके बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न, हत्या, लूटपाट और मंदिरों पर हो रहे हमलों की ओर कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का ध्यान दिलाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से आठ सूत्रीय मांग की थी। इसमें यह मांग की गई थी कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया जाए। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए।

गौरतलब है कि अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के कारण चिन्मय कृष्ण दास प्रभु बांग्लादेश सरकार के निशाने पर थे। उन्हें ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें चटगांव ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं ने बांग्लादेश के अनेक स्थानों पर उग्र प्रदर्शन किए थे, जिनमें एक वकील की मौत हो गई थी और लगभग तीन दर्जन लोग घायल हो गए थे। बांग्लादेश पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चिन्मय कृष्ण दास को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उनके समर्थक उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कृष्ण दास ने अपने समर्थकों को हाथ जोड़कर

नमस्कार किया और कहा कि वे अदालत में धार्मिक नारे न लगाएं। सुनवाई के दौरान उनके समर्थकों ने चटगांव के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम से अनुरोध किया कि वे उन्हें कृष्ण दास के साथ जेल भेज दें।

भारत सरकार ने चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घुम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए उचित मांग करने वाले धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। चिन्मय प्रभु की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से इंकार किया गया है उससे भारत सरकार चिंतित है। भारत सरकार के इस बयान पर बांग्लादेश सरकार ने हैरानी प्रकट की है।

इंकलाब (28 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश के एक वकील ने ढाका उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह मांग की थी कि इस्कॉन (बांग्लादेश) राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है और वह अशांति व हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उनके इस अनुरोध को ठुकराते हुए इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है। इसके बाद कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज कर दिया है। वे बांग्लादेश सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग ले रहा है और हिंसा की ज्वाला भड़का रहा है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव फिरोज खान ने चिन्मय प्रभु के खिलाफ देशद्रोह का एक मुकदमा चटगांव थाने में दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में चिन्मय प्रभु ने चटगांव में जिस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था उसमें बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज लगाया गया था। इस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इस शिकायत के बाद बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय प्रभु और उनके 19 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर हिंसा भड़काने, सरकारी वकील सैफुल इस्लाम की हत्या करने और राष्ट्रद्रोह का आरोप है। ताजा समाचारों के अनुसार चिन्मय प्रभु के दो अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये लोग चटगांव जेल में चिन्मय प्रभु के लिए भोजन पहुंचाने गए थे।

इस्कॉन बांग्लादेश के अध्यक्ष सत्य रंजन बरोई ने घोषणा की है कि चिन्मय प्रभु और उनके सहयोगियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और इस्कॉन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आरोप में संस्थान के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस्कॉन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और हम सामाजिक सद्भावना में विश्वास रखते हैं। ताजा समाचारों के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन से जुड़े 12 संतों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग बांग्लादेश की सीमा पर भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे।

इंकलाब (26 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खात्मे के बाद चिन्मय प्रभु हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उन्होंने रंगपुर में एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने यह मांग की थी कि बांग्लादेश सरकार हिंदू मंदिरों पर हमलों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेशी हिंदू सरकार और पुलिस से बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब कट्टरपंथी हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमला करते हैं तो बांग्लादेश

की पुलिस और अर्धसैनिक बल मूकदर्शक बने रहते हैं। कई स्थानों पर उन्होंने मंदिरों पर हमला करने वालों को उकसाया भी है। इसके कारण हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे भयभीत होकर भारत की ओर भाग रहे हैं।

रोजनामा सहारा (28 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि यह बेहद अफसोस की बात है कि कुछ लोग चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। उन्हें देशद्रोह और बांग्लादेश में विभिन्न संप्रदायों के बीच वैमनस्य भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के बयान दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप नहीं हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर चिंता प्रकट की है और सरकार से मांग की है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकें।

चट्टान (28 नवंबर) के अनुसार भारतीय मुसलमानों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर नाराजगी प्रकट की है और इस घटना को इस्लाम की भावना के खिलाफ करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वह इस धार्मिक नेता को तुरंत रिहा करे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कारगर कदम उठाए। इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ है।

इंकलाब (27 नवंबर) के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न और उनके मंदिरों पर हमले की निंदा की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह चिन्मय प्रभु को फौरन रिहा करे। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि एक ओर तो भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चिंता प्रकट करती है। वहीं, दूसरी ओर भारत में ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में एक धार्मिक नेता की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने जिस तरह से विरोध प्रकट किया है उससे भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कटुता आ सकती है। समाचारपत्र ने कहा है कि जब चिन्मय प्रभु

को चटगांव की अदालत में पेश किया गया तो भीड़ ने एक वकील को उसके चैंबर से घसीटकर बाहर निकाला और उसकी हत्या कर दी। 32 वर्षीय सरकारी वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के कारण बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर तो चिंता प्रकट करती है, लेकिन अपने ही देश में अनेक मुसलमानों को कथित देशद्रोह के आरोप में वर्षों से जेलों में डाल रखा है। इस संबंध में उमर खालिद और शरजील इमाम का नाम उल्लेखनीय है। अगर बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तो इस पर भारत सरकार को आपत्ति करने का अधिकार कैसे हो सकता है?

चट्टान (26 नवंबर) के अनुसार अतिवादियों की धमकी के कारण ढाका में आयोजित सद्भावना संगीत समारोह को रद्द कर दिया गया है। इस समारोह का आयोजन 17वीं शताब्दी के बंगाली सूफी लालन शाह के भक्तों ने किया था। बताया जाता है कि बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने यह धमकी दी थी कि संगीत इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इसे सहन नहीं किया जाएगा। नारायणगंज के उपायुक्त मोहम्मद महमूदुल हक ने संवाददाताओं को बताया कि कुछ अतिवादी छात्र संगठनों ने यह धमकी दी थी कि अगर इस सूफी संगीत समारोह का आयोजन किया गया तो इसका जर्बदस्त विरोध किया जाएगा। हाल ही में अतिवादी इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता अब्दुल अवल ने इस संगीत समारोह को रोकने के लिए एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था और कहा था कि संगीत इस्लाम की भावना के खिलाफ है।

पाकिस्तान में शिया–सुन्नी झड़पों में 300 से अधिक लोगों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित कुर्रम जिले के पाराचिनार क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से शिया और सुन्नी समुदायों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में 150 लोगों के मरने की सरकारी तौर पर पुष्टि की गई है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इन झड़पों में मरने वालों की संख्या 300 से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

पाकिस्तानी अखबार **डॉन** (28 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि सरकार के प्रयास से शिया-सुन्नी कबीलों के बीच सात दिनों के लिए अस्थाई युद्धविराम हो गया है। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि सरकार युद्धविराम की अवधि में विस्तार करने का प्रयास कर रही है।

एतेमाद (22 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के पाराचिनार क्षेत्र में सुन्नियों ने

शियाओं के एक काफिले पर हमला किया। यह काफिला पाराचिनार से पेशावर जा रहा था। इस काफिले में 200 से अधिक वाहन थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस हमले में कम-से-कम 50 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें आठ महिलाएं और पांच बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों का संबंध शिया संप्रदाय से बताया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन खान गंडापुर ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने मुख्य सचिव सहित पुलिस के उच्चाधिकारियों को घटनास्थल का दौरा करने का निर्देश दिया है। सरकार ने पहले इन हमलों के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि यह हमला सुन्नी समुदाय के लोगों ने किया था।

अवधनामा (24 नवंबर) के अनुसार पाराचिनार के एक पुलिस अधिकारी ने संवाद समिति 'एएफपी' को बताया कि शिया-सुन्नी हमलों का सिलसिला अभी तक जारी है। शियाओं की जवाबी कार्रवाई में कम-से-कम 37 लोग मारे गए हैं और 50 लोग घायल हुए हैं। सरकारी सुरक्षा एजेंसियां अभी तक इन खूनी झड़पों को रोकने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुर्रम शिया बहुल जिला है, जो अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। पिछले एक साल से शियाओं और सुन्नियों में खूनी झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। स्थानीय अखबारों के अनुसार पिछले एक साल से चल रही इन झड़पों में कम-से-कम 1500 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।

समाचारपत्र के अनुसार पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में से लगभग 20 प्रतिशत शिया हैं। शियाओं की यह शिकायत रही है कि पाकिस्तान के प्रशासन पर सुन्नियों का वर्चस्व है। पाकिस्तान के गठन के बाद से ही सुन्नियों द्वारा शियाओं का उत्पीड़न जारी है। एक उच्च पुलिस अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कुछ दिनों पहले शियाओं के काफिले पर सुन्नियों के हमले के जवाब में सशस्त्र शियाओं ने सुन्नियों के गांवों पर हमला कर दिया था। उन्होंने कम-से-कम 50 गांवों को अपना निशाना बनाया। हमलावरों ने कई महिलाओं का अपहरण कर लिया। जब इस घटना की सूचना सुन्नी बहुल इलाके में रहने वाले लोगों को मिली तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक साल पहले भूमि पर

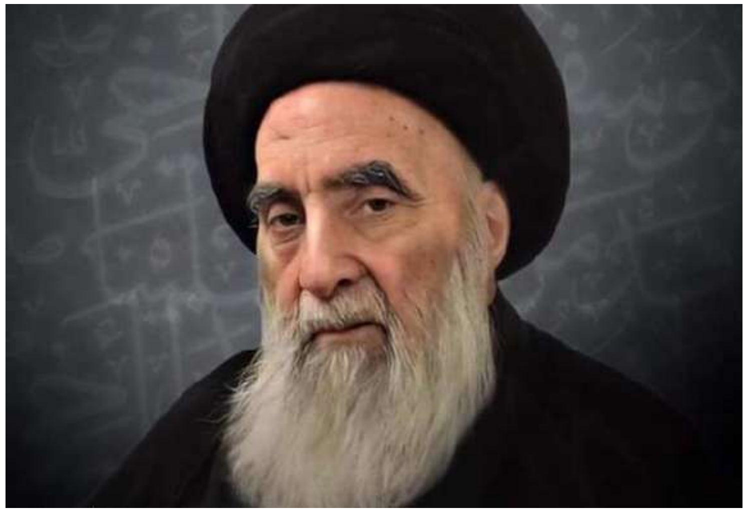

कब्जे को लेकर दोनों कबीलों में संघर्ष की शुरुआत हुई थी। प्रशासन ने कई बार दोनों कबीलों में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन यह युद्धविराम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और खूनी झड़पों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया।

औरंगाबाद टाइम्स (22 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मासूम यात्रियों की हत्या करना इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह शिया-सुन्नी कबीलों के बीच शांति स्थापित करने के लिए फौरन प्रयास करे।

एक अन्य समाचार के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी के एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी हुई एक गाड़ी को पाकिस्तानी सेना की एक चौकी से टकरा दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कम-से-कम 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए, जिनमें तीन उच्चाधिकारी भी शामिल थे।

मुंसिफ (21 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तानी मंत्रिमंडल की बैठक में खैबर पख्तूनख्वा में शिया-सुन्नी झड़पों और आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर विचार किया गया। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों और शिया-सुन्नी संप्रदायों के बीच खूनी झड़पों को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए ताकि देश में शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। मंत्रिमंडल में इस बात पर भी चिंता प्रकट की गई कि पहले आतंकवादियों की गतिविधियां बलूचिस्तान तक ही सीमित थीं, लेकिन अब ये सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गई हैं। इस बैठक में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सेना को आतंकवादियों एवं शिया-सुन्नी दंगों को भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

अवधनामा (24 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान में शियाओं के कत्लेआम पर विश्वभर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। इराक के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली अल-सिस्तानी ने पाकिस्तान में शियाओं के नरसंहार की निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि वह शियाओं के कत्लेआम को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई करे। उन्होंने मरने वालों को 'शहीद' का दर्जा दिया है और कहा है कि इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नजफ और कर्बला में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है।

अवधनामा (25 नवंबर) के अनुसार ईरान के शिया तीर्थ स्थल कोम में आयोजित एक जनसभा में पाकिस्तान में शियाओं की हत्या पर चिंता प्रकट की गई है। इस जनसभा में पाकिस्तान सरकार से मांग की गई कि वह शियाओं को सुरक्षा प्रदान करे। इस संदर्भ में शिया विद्वान हाफिज बशीर हुसैन नजफी ने अरबी भाषा में एक

बयान जारी किया है। इस बयान में यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान सरकार शियाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। शिया नेता अयातुल्ला हुसैन नूरी हमदानी ने भी पाकिस्तान सरकार को एक संदेश भेजा है। इस संदेश में कहा गया है कि जो लोग बेबस शियाओं का नरसंहार कर रहे हैं, वे इस्लाम के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वह शियाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (29 नवंबर) के अनुसार पाराचिनार में अभी तक शिया-सुन्नियों के बीच संघर्ष जारी है। संघर्ष के बारहवें दिन दोनों समुदायों में हुई खूनी झड़पों में कम-से-कम 12 लोग मारे गए हैं। सरकारी बयान के अनुसार अब तक इस संघर्ष में 135 लोग मारे गए हैं। जबकि गैर-सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 500 से भी अधिक बताई जाती है।

चट्टान (25 नवंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजौर में इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक गिरोह ने जमात-ए-इस्लामी के महासचिव मोहम्मद हामिद सूफी की हत्या कर दी है। सूफी जब मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेवारी आईएसआईएस के खुरासान विंग ने ली है। आईएसआईएस ने आरोप लगाया है कि जमात-ए-इस्लामी सरकार के साथ मिलकर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में भाग ले रही है। यह हमला इसी सिलसिले में किया गया है।

सेना की सख्ती से इमरान खान की रिहाई का आंदोलन खत्म

इंकलाब (28 नवंबर) के अनुसार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस्लामाबाद में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह प्रदर्शन इमरान की रिहाई की मांग को लेकर किया गया था। पीटीआई के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि अभी हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन इमरान खान के मशवरे के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ तीन नए मुकदमे दर्ज किए हैं। इमरान खान पर आरोप लगाया गया है कि 9 मई 2023 को उन्होंने अपने समर्थकों को सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए उकसाया था। यह एक राष्ट्रद्रोही गतिविधि है।

रोजनामा सहारा (27 नवंबर) के अनुसार इमरान खान के खिलाफ तीन अन्य मुकदमों में पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। इसके साथ ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी तीन नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये मुकदमे हाल ही में बुशरा बीबी

के गुजरांवाला में दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किए गए हैं। बुशरा बीबी ने आरोप लगाया था कि सऊदी अरब सरकार शरिया कानून का उल्लंघन कर रही है। उनके इस बयान से पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों को जबर्दस्त क्षति पहुंची है।

औरंगाबाद टाइम्स (28 नवंबर) के अनुसार पीटीआई ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बेकसूर नागरिकों का खून बहाने की जो योजना बनाई है उसे देखते हुए उसने विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने का फैसला किया है। बता दें कि तीन दिन पहले पीटीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू किए थे। इसे देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने पूरे देश में आवागमन की सुविधाओं पर रोक लगा दी थी और सड़कों को बंद कर दिया था। सरकारी मीडिया के अनुसार इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने अपने कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए भड़काया था, लेकिन वे खुद मौके से गायब हो गए। पीटीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने उसके दर्जनों बेकसूर कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद में प्रदर्शन को लेकर पीटीआई में गंभीर मतभेद थे। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के डी–चौक पर प्रदर्शन करने के खिलाफ थे। जबकि बुशरा बीबी और उनके कुछ समर्थक वहां पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे।

इंकलाब (28 नवंबर) के अनुसार पुलिस ने दावा किया है कि उसने लगभग दो हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर, पीटीआई के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सेना ने उनके एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। सेना ने दावा किया है कि पीटीआई के नेता अपनी विफलता को छिपाने के लिए सेना पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन में किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है।

चट्टान (27 नवंबर) के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद के एक हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस पर एक कार चढ़ा दी। इसके कारण चार रेंजर्स और दो पुलिसकर्मी मारे गए। स्थिति को बिगड़ता देख पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश को सेना के हवाले कर दिया है। यह फैसला

पाकिस्तानी संविधान की धारा 245 के तहत किया गया है। पाकिस्तान में अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की सेना के साथ जोरदार झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान सरकार ने सेना को यह निर्देश दिया है कि देखते ही प्रदर्शनकारियों को गोली से उड़ा दिया जाए। रावलपिंडी में सशस्त्र हमलावरों के एक समूह ने सेना पर पथराव किया और गोलियां चलाई, जिसमें कुछ सैनिक घायल हो गए। सेना ने घोषणा की है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने और हिंसा करने वालों को फौरन गोली से उड़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि कथित शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमला करना निंदनीय है। सरकार ने इन्हें शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के समर्थक विदेशी इशारे पर पाकिस्तान में अशांति और हिंसा फैला रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (28 नवंबर) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया के पूर्व निदेशक रिचर्ड ग्रेनेल और अनेक अमेरिकी सांसदों ने इमरान खान की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती है और देश में सैनिक तानाशाही लागू करना चाहती है। ■

अफगानिस्तान में नमाजियों पर फायरिंग

उर्दू टाइम्स (23 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में कुछ सशस्त्र हमलावरों ने एक सूफी दरगाह पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में दरगाह में नमाज अदा करने वाले कम-से-कम 10 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। तालिबान के गृह मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सैयद पाचा आगा दरगाह पर उस समय हमला किया गया जब वहां पर नमाज अदा की जा रही थी। गौरतलब है कि सुन्नी मुस्लिम दरगाहों के सख्त खिलाफ हैं और वे इसे इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध मानते हैं। यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि यह हमला इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खुरासान विंग ने किया है। जबसे तालिबान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ हुए हैं तब से आईएसआईएस द्वारा इमामबाड़ों और दरगाहों पर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं। पिछले महीने कंधार में इराक से कर्बला की यात्रा करके लौटे शिया मुसलमानों पर भी हमला किया गया था, जिसमें कम-से-कम 14 लोग मारे गए थे। बाद में आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली थी। ■

स्पेन द्वारा तीन लाख घुसपैठियों को नागरिकता देने की घोषणा

हिंदुस्तान (22 नवंबर) के अनुसार स्पेन सरकार ने घोषणा की है कि अगले तीन वर्षों तक हर साल लगभग तीन लाख घुसपैठियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इनमें लगभग एक लाख मुसलमान शामिल हैं। ये घुसपैठिए पाकिस्तान, बांगलादेश और अफ्रीकी देशों के मूल निवासी हैं। बार्सिलोना में पाकिस्तानी महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली डॉ. हुमा जमशेद ने कहा कि इस समय स्पेन में लगभग डेढ़ लाख पाकिस्तानी मूल के लोग रह रहे हैं, जो इस नई घोषणा का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्पेन में रहने वाले मुसलमानों ने देश के विकास और नवनिर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्पेन सरकार ने 20 लाख पाकिस्तानी घुसपैठियों को नागरिकता देने का आश्वासन दिया है। ये पाकिस्तानी अवैध रूप से स्पेन में रह रहे हैं।

स्पेन की प्रवास मंत्री एल्मा सैज ने यह घोषणा की है कि घुसपैठियों को नागरिकता प्रदान करने का सिलसिला अगले वर्ष के मई महीने से शुरू किया जाएगा और यह 2027 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्पेन में वृद्ध लोगों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्पेनिश समाज में नए रक्त के संचार के लिए यह जरूरी है कि देश में अवैध रूप से रहने वाले तीन लाख घुसपैठियों को नागरिकता प्रदान की जाए ताकि वे वर्क परमिट और आवास प्राप्त करके इस देश के नवनिर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

गौरतलब है कि अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में स्पेन में घुसपैठियों के खिलाफ कानून काफी नरम हैं। इसके कारण कई यूरोपीय देशों में अवैध रूप से रहने वाले मुसलमानों ने स्पेन में घुसपैठ की है। स्पेन सरकार के अनुसार स्पेन एक लोक कल्याणकारी राज्य है और इसे चलाने के लिए देश को दो लाख 50 हजार विदेशी युवकों की जरूरत होती है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि देश में जन्म दर तेजी से घट रही है। इसे देखते हुए यह जरूरी है कि इन घुसपैठियों को देश की विधिवत नागरिकता प्रदान की जाए। स्पेन की वामपंथी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिकता की इस उदार नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के अनुसार युवा विदेशियों को वीजा देने का तरीका आसान बनाया जाएगा और जो विदेशी मजदूर स्पेन में नौकरी करेंगे उन्हें कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ■

सीरिया में स्थिति विस्फोटक : क्या विश्वयुद्ध छिड़ेगा?

अमेरिका के प्रयास से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्धविराम से यह आशा पैदा हुई थी कि अब मध्य पूर्व की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सीरिया के ताजा घटनाक्रम ने उस पर पानी फेर दिया है। सीरिया में रूस और अमेरिका के बीच ठन गई है। ईरान और रूस खुलकर सीरिया की शिया सरकार बशर अल-असद का समर्थन कर रहे हैं। जबकि अमेरिका और इजरायल ने विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यह एक सुन्नी संगठन है। इस संगठन को तुर्किये का भी समर्थन प्राप्त है।

रोजनामा सहारा (30 नवंबर) के अनुसार सीरिया की बशर अल-असद सरकार के खिलाफ तुर्किये समर्थित विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में कम-से-कम 200 लोग मारे गए हैं। सीरिया की रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि सशस्त्र विद्रोहियों ने अलेप्पो (हलब) और इदलिब नगरों में सरकारी सेना पर जबर्दस्त हमले शुरू कर दिए हैं। विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इदलिब के दक्षिण में स्थित जबल जाविया की सरकारी छावनी पर कब्जा कर लिया है और अलेप्पो के सभी देहाती क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। विद्रोहियों का दावा है कि 24 घंटे के युद्ध में उन्होंने 132 सरकारी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है।

दूसरी ओर, सीरिया सरकार ने यह दावा किया है कि विद्रोही संगठन एचटीएस के 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस समय यह युद्ध अलेप्पो नगर की बाहरी बस्तियों तक पहुंच चुका है और सरकारी सेना इन हमलों को रोकने में विफल रही है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में विद्रोही सक्रिय हैं। 2020 में विद्रोहियों और सरकार के बीच जो युद्धविराम हुआ था उसे विद्रोहियों ने समाप्त कर दिया है। गौरतलब है कि बशर अल-असद सरकार को ईरान और रूस का समर्थन प्राप्त है। सीरिया में 2011 से गृहयुद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक सात लाख लोग मारे जा चुके हैं और 30 लाख लोग बेघर हुए हैं।

रोजनामा सहारा (29 नवंबर) के अनुसार विद्रोही गुट एचटीएस और उसके सहयोगियों ने अलेप्पो के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सीरिया की सैन्य छावनी पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम-से-कम 100 सैनिक मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) के अनुसार इस हमले में विद्रोहियों ने 51 गांवों व कस्बों पर कब्जा कर लिया है और 50 सरकारी सैनिकों को बंधक बना लिया है। विद्रोहियों ने सरकारी सैनिकों के हथियारों पर कब्जा कर लिया है। इस हमले के जवाब में रूसी लड़ाकू विमानों ने अलेप्पो स्थित विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए हैं। रूसी लड़ाकू विमान विद्रोहियों का सामना करने वाले सरकारी सैनिकों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस हमले के कारण हजारों ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। गौरतलब है कि एचटीएस के नुसरा ब्रिगेड की ओर से ये हमले किए जा रहे हैं। इस विद्रोही संगठन को अनेक देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।

रोजनामा सहारा (2 दिसंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सीरिया का दौरा करने की घोषणा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि विद्रोहियों के इस हमले के कारण सीरिया सरकार के लिए जबर्दस्त खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री पहले दमिश्क और फिर तुर्किये जाएंगे ताकि सीरिया की सरकार को इस संकट से उबारा जा सके। इससे पहले ईरान ने यह घोषणा की थी कि विद्रोहियों ने उत्तरी सीरिया के अलेप्पो नगर में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है और उसके अनेक कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तेहरान में संवाददाताओं को बताया कि ईरान के महावाणिज्य दूत और उच्चाधिकारी सुरक्षित हैं।

उन्होंने कहा कि ईरान अलेप्पो स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर, विद्रोहियों ने यह घोषणा की है कि उन्होंने अलेप्पो हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। यह सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ साल पहले दोनों पक्षों में जो युद्धविराम का समझौता हुआ था, यह हमला उसका उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का खुलकर समर्थन किया था। इसके जवाब में इजरायल ने दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमले करके उसे तबाह कर दिया था। इस हमले में ईरान का एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर और 16 अन्य उच्चाधिकारी मारे गए थे।

एक अन्य समाचार के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने सीरिया के राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया है कि इराक विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए सीरिया को हर तरह की सहायता देगा।

रोजनामा सहारा (1 दिसंबर) के अनुसार ईरान ने आरोप लगाया है कि सीरिया में हमलों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि लेबनान और गाजा में मुंह की खाने के बाद इजरायल और अमेरिका ने अब सीरिया में एक नया फ्रंट खोल दिया है। हम अपने दोस्त सीरिया की हर तरह से सहायता करेंगे। रूस के सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि अलेप्पो में अमेरिका और इजरायल समर्थक विद्रोहियों ने सरकार के खिलाफ जो हमले का सिलसिला शुरू किया है वह सीरिया की स्वायत्तता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रूस इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सीरिया को पूरा समर्थन देगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार रूस ने सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। विद्रोही दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूसी वायुसेना उन पर हमले कर रही है। रूस ने इदलिब और हमा नगरों के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए विद्रोहियों को अपना निशाना बनाया है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े नगर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और वे हमा में घुस गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने सभी विद्रोहियों और उनके समर्थकों से मुकाबला करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि हम सीरिया की स्थिरता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। सरकारी सूत्रों ने यह स्वीकार किया है कि विद्रोहियों ने इदलिब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इदलिब अलेप्पो से 55 किलोमीटर दूर है। सीरिया में इन हमलों का नेतृत्व विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल-शाम और तुर्किये समर्थक उसके सहयोगी कर रहे हैं। इस विद्रोही संगठन को असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे प्रभावशाली संगठन माना जाता है।

अमेरिका ने आरोप लगाया है कि सीरिया की रूस व ईरान पर निर्भरता और 2015 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति योजना पर अमल करने से इंकार करने के कारण देश में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। ।

बता दें कि हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) सीरिया का प्रमुख विद्रोही संगठन है। इसकी स्थापना 2011 में 'जबात अल-नुसरा' के नाम से हुई थी। यह कट्टर इस्लामिक संगठन अलकायदा का सहयोगी रहा है। इस संगठन को बनाने में आईएसआईएस के प्रमुख अबू बकर अल-बगदादी का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 2016 में इस संगठन के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने सार्वजनिक तौर पर अलकायदा से अपना नाता तोड़ लिया था और उसने 'जबात अल-नुसरा' को भंग कर दिया था। इसके बाद उसने समान विचारधारा वाले गुटों को एक साथ लाकर हयात तहरीर अल-शाम की स्थापना की थी।

इजरायल और हिजबुल्लाह में युद्धविराम

रोजनामा सहारा (28 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्धविराम का समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह युद्धविराम अभी 60 दिनों के लिए है और इसका उद्देश्य स्थाई युद्धविराम को सुनिश्चित करना है। यह युद्धविराम इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक साल से जारी युद्ध के बाद घोषित किया गया है। पिछले दो महीने से दोनों के बीच खुलेआम युद्ध हो रहा था। अल-अरेबिया के संवाददाता के अनुसार इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले रोक दिए हैं। इस समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को दोबारा आतंकवाद का बुनियादी ढांचा बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि इजरायल अगले 60 दिनों में लेबनान से अपनी सेना को धीरे-धीरे वापस बुला लेगा।

इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जोर दिया था कि यह समझौता उनकी सरकार को लेबनान में हरकत में आने की आजादी देता है। इसके परिणामस्वरूप गाजा में हमास को अलग-थलग कर दिया जाएगा ताकि इजरायल संभावित ईरानी हमले को रोकने के लिए ध्यान दे सके। नेतन्याहू के कार्यालय ने यह पुष्टि की है कि मंत्रिमंडल ने इस समझौते की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों ने इसके पक्ष में और एक ने इसके विरोध में वोट दिया है। बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका और फ्रांस के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन युद्धविराम के इस समझौते को लागू करने में मदद देगा। इसके अतिरिक्त इजरायली हमलों की वजह से बेघर हुए लेबनानियों और इजरायल के उत्तर में बसे यहूदियों को उनके घरों में वापस लौटने में सहायता दी जाएगी। इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना के लेबनान से चले जाने के बाद लेबनानी सीमा पर पांच हजार से दस हजार लेबनानी सैनिक नियुक्त किए जाएंगे। किसी भी विदेशी शक्ति को लेबनान को हथियार बेचने की अनुमति नहीं होगी।

अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर हिजबुल्लाह इस युद्धविराम का उल्लंघन करता है तो इजरायल को दोबारा हमला करने का अधिकार होगा। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि इजरायल ने लेबनान के जिन क्षेत्रों पर

कब्जा कर रखा है उसे वह खाली कर देगा। भारत ने इस युद्धविराम का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि आपसी बातचीत और राजनयिक प्रयास से वहां पर स्थाई शांति की स्थापना होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच जारी हिंसा, तबाही और मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इससे मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की नई शुरुआत होगी।

गौरतलब है कि युद्धविराम की यह संधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में पारित प्रस्ताव का एक हिस्सा है। इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई थी कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में स्थित अपनी सेना को वापस बुला लेगा और इजरायल ब्लू लाइन के दक्षिण से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। यह आशा व्यक्त की गई है कि अगले 20 दिनों में दोनों देशों के सैनिक अपनी पुरानी सीमा तक सिमट जाएंगे। खास बात यह है कि इस समझौते में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नि:शस्त्रीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह संभावना व्यक्त की है कि अब इजरायल ईरान पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा और हमास के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले इजरायल के बर्खास्त रक्षा मंत्री योआव गैलेंट यह जोर दे रहे थे कि गाजा और लेबनान में युद्धविराम की घोषणा की जाए। लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई का अनुभव काफी खराब रहा है। इजरायल को यह आशा है कि अब वह हमास के खिलाफ कारगर कार्रवाई करके उसे पंगु बना सकेगा।

यह भी संकेत मिला है कि हमास भी इजरायल के साथ युद्धविराम करना चाहता है, क्योंकि इजरायल उसके सर्वोच्च सेनापतियों का सफाया कर चुका है। हालांकि, वह इतना कमजोर भी नहीं है कि वह इजरायल के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न कर सके। हाल ही में हमास ने इजरायल पर लगभग 250 रॉकेट चलाए थे। जानकार सूत्रों का अनुमान है कि ईरान भी इजरायल के साथ खुले युद्ध के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने हिजबुल्लाह को यह निर्देश दिया है कि वह फिलहाल युद्धविराम को स्वीकार कर ले। हाल ही में सीरिया में ईरान समर्थक बशर अल-असद सरकार के खिलाफ जिस तरह से विद्रोही सक्रिय हुए हैं उसे देखते हुए भी ईरान को हिजबुल्लाह को युद्धविराम करने का निर्देश देना पड़ा है ताकि वह सीरिया में बशर अल-असद की सरकार की सहायता कर सके।

इंकलाब (30 नवंबर) के अनुसार ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने लेबनान में युद्धविराम को यहूदी सरकार की हार बताया है। उन्होंने हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम को बधाई दी है कि उसने इजरायल को घुटने टेकने पर विवश कर दिया है। हुसैन सलामी ने कहा है कि हम अपने फिलिस्तीनी भाईयों के साथ हैं। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि वह अंतिम समय तक फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा और उसने इजरायल पर विजय प्राप्त कर ली है। इजरायली अखबार 'यरुशलम पोस्ट' ने दावा किया है कि लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह के तीन हजार से

अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि इजरायल के 75 सैनिक शहीद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1500 लेबनानी नागरिक भी इजरायली हमले में मारे गए हैं।

रोजनामा सहारा (30 नवंबर) के अनुसार इजरायली सेना ने युद्धविराम की संधि के बावजूद लेबनान पर हमला किया है। इस हमले में 78 नागरिक मारे गए हैं। लेबनान ने इजरायल पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

सियासत (28 नवंबर) के अनुसार इजरायली नागरिकों का एक बड़ा वर्ग युद्धविराम के इस फैसले से असंतुष्ट है। इस युद्धविराम के खिलाफ इजरायल के अनेक नगरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।

गाजा में युद्धविराम के लिए हमास तैयार

उर्दू टाइम्स (29 नवंबर) के अनुसार हमास ने घोषणा की है कि लेबनान में युद्धविराम के बाद हम गाजा में भी युद्धविराम के लिए तैयार हैं। बताया जाता है कि इस संबंध में हमास के वरिष्ठ नेताओं ने कतर को संकेत दिया है। इसके बाद इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले तीनों देश मिस्र, कतर और तुर्किये सक्रिय हो गए हैं। हमास के सर्वोच्च नेताओं ने कहा है कि उनका संगठन युद्धविराम और बंधकों के आदान-प्रदान के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल का रूख इस संदर्भ में सकारात्मक नहीं है। दूसरी ओर, गाजा में इजरायल ने हमलों का सिलसिला फिर से तेज कर दिया है। बीते दिनों गाजा में इजरायली बमबारी में एक स्कूल में शरण लेने वाले 13 लोग मारे गए हैं। हमास सूत्रों ने यह दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अब तक 45 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1.25 लाख लोग घायल हुए हैं, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने यह आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही गाजा में भी युद्धविराम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कतर मिस्र से बातचीत कर रहा है ताकि गाजा में हो रहे नरसंहार को रोका जा सके। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की थी कि अमेरिका तुर्किये, मिस्र और कतर के सहयोग से गाजा में युद्धविराम के लिए प्रयास कर रहा है ताकि वहां पर स्थाई युद्धविराम हो सके और बंधकों की रिहाई की जा सके। हमास के निकटवर्ती सूत्रों ने यह संकेत दिया है कि हमास गाजा में युद्धविराम के लिए इजरायल के साथ समझौता करने के बारे में विचार कर रहा है। इस मामले में प्रगति से पूर्व हमास इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इजरायल युद्धविराम और बंदियों के आदान-प्रदान के लिए कितना गंभीर है। उन्होंने दावा किया कि हमास को जो सूचनाएं मिली हैं उसमें यह पता चला है कि इजरायल अभी युद्धविराम हेतु गंभीर नहीं है।

इजरायल द्वारा जॉर्डन की सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा

रोजनामा सहारा (27 नवंबर) के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायल-जॉर्डन की पूर्वी सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। यह योजना इजरायल की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ आक्रामक गतिविधियों में वृद्धि करना चाहता है। इरजायल सरकार उसके इस इरादे को विफल बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इजरायल ईरान के खिलाफ अपने हमलों में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया कि आठ सितंबर को ईरान के कुछ एजेंटों ने जासूसी और तोड़फोड़ के लिए जॉर्डन के रास्ते इजरायल में घुसपैठ करने का प्रयास किया था। इस गिरोह का प्रमुख माहेर अल-जाजी था। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में वह और उसके चार साथी मारे गए थे। अक्टूबर महीने में भी मृत सागर से इजरायल में घुसपैठ करने का प्रयास किया गया। इजरायली सेना ने जब इस घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया तो घुसपैठियों ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिसमें दो इजरायली सैनिक घायल हो गए। सेना की जवाबी कार्रवाई में जॉर्डन के दो नागरिक हस्साम अबू गजालेह और आमिर कवास मारे गए। ये घुसपैठिये ईरानी एजेंट थे। उनके कब्जे से जो दस्तवोज बरामद हुए हैं उससे यह पुष्टि होती है कि वे ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और विध्वंसक गतिविधियों के लिए इजरायल में घुसना चाहते थे। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि जॉर्डन-इजरायल की सीमा पर बाड़ लगाई जाए ताकि भविष्य में घुसपैठ की घटनाओं को रोका जा सके।

इजरायली अखबार 'इजरायल टुडे' ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि इजरायल-जॉर्डन की सीमा पर भारी संख्या में इजरायली सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि घुसपैठ की घटनाओं को सख्ती से रोका जा सके। इजरायल और जॉर्डन के बीच 335 किलोमीटर की सीमा है, जिसमे से 97 किलोमीटर वेस्ट बैंक के साथ है और शेष इजरायल की सीमा से लगती है। फिलहाल जॉर्डन-इजरायल सीमा के तीन स्थानों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। इनमें शेख हुसैन ब्रिज, किंग हुसैन ब्रिज और वादी अरबा ब्रिज शामिल हैं। इजरायल ने इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ी करने का फैसला किया है ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। ■

सऊदी अरब में 20 हजार व्यक्ति गिरफ्तार

औरंगाबाद टाइम्स (25 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते में 19,696 लोगों को गैर-कानूनी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में अवैध रूप से रहने वाले 11,336 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 5,176 लोगों को सऊदी सीमा में घुसपैठ करने के आरोप में पकड़ा गया है। 3,184 लोगों को बिना परमिट नौकरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में अवैध घुसपैठ करने वालों में 65 प्रतिशत इथियोपियाई, 32 प्रतिशत यमनी और 3 प्रतिशत अन्य देशों के लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 100 लोगों को सऊदी सीमा से अन्य देशों में अवैध रूप से दाखिल होने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सऊदी सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को कौन लोग पनाह दे रहे थे।

अवधनामा (19 नवंबर) के अनुसार इस वर्ष अब तक सऊदी अरब में 100 से अधिक विदेशियों को सार्वजनिक तौर पर मृत्युदंड दिया जा चुका है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि जिन लोगों को सिर काटने की सजा दी गई है उनमें से अधिकांश मादक पदार्थों के तस्कर हैं। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनमें कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया था। यह संख्या 2023 की तुलना में तीन गुना अधिक है। इस साल जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनमें पाकिस्तान के 21, यमन के 20, सीरिया के 14, नाइजीरिया के 10, मिस्र के नौ, जॉर्डन के आठ और इथियोपिया के सात नागरिक शामिल हैं। बर्लिन स्थित सऊदी मानवाधिकार संगठन ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब में जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उनकी संख्या सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा है। इस साल के पहले 10 महीने में 274 लोगों को सऊदी अरब के विभिन्न जेलों में फांसी पर लटकाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार चीन और ईरान के बाद सऊदी अरब में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने 2022 में यह घोषणा की थी कि भविष्य में किसी भी तस्कर को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए सऊदी सरकार ने मौत की सजा देने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

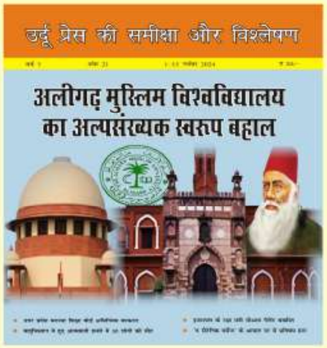

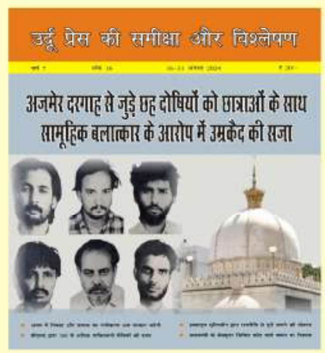

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in